फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– पुखराज पुत्र छगनलाल —::बनाम::— अप्रार्थी :– तहसीलदार

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रा.पत्र नम्बर :–139/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
14.06.23	प्रार्थी उपस्थित। राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प लाम्बिया में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत् पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा– लाम्बिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 450, 705 व मौजा गांगलिया के खता सं. 69 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम पुका /पुखा पुत्र छगना दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में पुखराज पुत्र छगनलाल हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम पुका /पुखा पुत्र छगना के स्थान पर पुखराज पुत्र छगनलाल शुद्ध किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रशासन गांवो के संग अभियान लाम्बिया में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा– लाम्बिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 450, 705 व मौजा गांगलिया के खता सं. 69 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम पुका /पुखा पुत्र छगना दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में पुखराज पुत्र छगनलाल दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम पुका /पुखा पुत्र छगना के स्थान पर पुखराज पुत्र छगनलाल शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा– लाम्बिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 450, 705 व मौजा गांगलिया के खता सं. 69 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि पुका /पुखा पुत्र छगना को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक " पुखराज पुत्र छगनलाल "दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुसार [illegible] अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार जैतारण को भिजवाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। SDO (श्याम सुन्दर बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)	